

राजस्व न्यायालय के संबंध में दिशा-निर्देश-

अ- डाटाबेस का अद्यावधिकरण

- समस्त राजस्व न्यायालयों के पेशकार ई-डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कोर्ट एप्लीकेशन को सुनवाई की तिथि के अंत में लागू कर देंगे।
- उक्त रेवेन्यू कोर्ट एप्लीकेशन को लागू करने के उपरांत संबंधित वादों में तदनुसार एन्ट्री करेंगे।
- पेशकारों द्वारा की जाने वाली एन्ट्री का प्रारूप संलग्नक-4ए पर दिया गया है।

ब- अन्तिम निर्णयों की कापी को अपलोड करना

- पेशकार अन्तिम निर्णय को स्कैन करेंगे तथा इसकी नान-एडिटेबल पीडीएफ फाइल तैयार करेंगे।
- समस्त राजस्व न्यायालयों के पेशकार ई-डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कोर्ट एप्लीकेशन को लागू करेंगे तथा संबंधित वाद के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय की कापी को अपलोड करेंगे।
- पेशकार द्वारा किये जाने वाले उक्त कार्य का प्रारूप संलग्नक-4बी पर दिया गया है।

स- कॉजलिस्ट को तैयार करना

- समस्त राजस्व न्यायालयों के पेशकार ई-डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कोर्ट एप्लीकेशन को लागू कर, वांछित तिथि की कॉजलिस्ट जनरेट करेंगे।
- इसके उपरांत पेशकार उक्त तिथि हेतु कॉजलिस्ट को प्रिन्ट करेंगे तथा संबंधित न्यायालय के पार्श्व में चस्पा करेंगे।
- पेशकार मैनुअली तैयार की गयी अथवा टाइप की गयी कॉजलिस्ट का प्रयोग नही करेंगे।

अक्षय

संलग्नक:-4ए

पेशकारों द्वारा वादों की एन्ट्री किये जाने वाला प्रपत्र

वादों की डाटा एन्ट्री किये जाने हेतु फील्ड्स निम्नलिखित हैं-

क्र०सं०	फील्ड्स
1	न्यायालय का विवरण
2	वाद संख्या
3	आवेदक/आवेदकों के नाम
4	प्रतिवादी/प्रतिवादियों के नाम
5	सेक्शन/सेक्शन अन्डर ट्रायल
6	अगली सुनवाई हेतु विषय
7	अगली सुनवाई की तिथि
8	टिप्पणी/ट्रायल का सारांश
9	वाद की स्थिति (रजिस्टर्ड, अन्डर प्रोग्रेस/अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश)

अन्तिम निर्णय की कॉपी को अपलोड किये जाने की फील्ड्स

क्र०सं०	फील्ड्स
1	न्यायालय का विवरण
2	वाद संख्या
3	आज की तिथि
4	पी०डी०एफ० का अटैचमेंट
5	टिप्पणी

April

संलग्नक:-4बी

राजस्व न्यायालयों के संबंध में सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति

क्र०सं०	क्रियाकलाप	सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति (दिवस में)
1	पेशकार द्वारा एप्लीकेशन में वाद विवरण की एन्ट्री	उसी दिन
2	निर्णीत वादों के अन्तिम आदेश की पी०डी०एफ० कॉपी की अपलोडिंग	1 दिन

True